

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001



No. 5-1(38)/2008-PD

Dated 8th July, 2008

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To,

सी.एस.आई.आर के सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय: केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को विभिन्न परिवार कल्याण योजनाओं के लिए दी जाने वाली विशेष आकस्मिक छुट्टी की अवधि में संशोधन।

Sub. : Modification in the period of Special Casual Leave to Central Government Servants for the various Family Welfare Scheme -reg.

महोदय/Sir,

मुझे भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 04.01.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 28016/02/2007-स्थापना(क) की प्रति आपको सूचना, अनुपालन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

I am directed to forward herewith a copy of Ministry of Personnel, Public grievance and Pensions (Department of Personnel & Training) O.M. No. 28016/02/2007-Estt.(A) dated 04.01.2008 information, compliance and necessary action.

भवदीय,

(Signature)
(पी.मनीष. थियोडोर)
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार/वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी/ वित्त एवं लेखा अधिकारी
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी
3. महानिदेशक, सी.एस.आई.आर के निजी सचिव
4. अवर सचिव तथा संयुक्त सचिव (प्रशासन) के प्रधान निजी सचिव
5. वित्त सलाहकार, सी.एस.आई.आर के निजी सहायक
6. मुख्या सतर्कता अधिकारी, सी.एस.आई.आर के निजी सचिव
7. अवर सचिव (के.का.)/वरिष्ठ उप सचिव(काम्पलैक्स)
8. प्रधान, यू.आर.डी.आई.पी/आई.पी.एम.डी/एच.आर.डी.सी/आर.डी.पी.डी/टी.एन.बी.डी/इस्टेड
9. विधि सलाहकार, सी.एस.आई.आर मुख्यालय के निजी सचिव
10. सी.एस.आई.आर मुख्यालय के सभी वरिष्ठ उप सचिव/उप सचिव/अवर सचिव
11. प्रधान, आर.ऐ.बी, सी.एस.आई.आर काम्पलैक्स
12. डॉ आर.बी. मिश्रा, सचिव, स्टाफ साइड, जे.सी.एम, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (now IITR), महात्मा गांधी मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 80, लखनऊ
13. प्रधान, आई. टी. प्रभाग - इस अनुरोध से कि इस परिपत्र को सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।

सं/No. 28016/02/2007-Estt (A)
भारत सरकार / Government of India
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
(Department of Personnel & Training)

North Block, New Delhi, 04th January, 2008.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Modification in the period of Special Casual Leave to Central Government Servants for the various Family Welfare Schemes

....

The undersigned is directed to say that the existing instructions regarding the number of days of grant of Special Casual Leave admissible to Central Government Servants for the various Family Welfare Schemes has been reviewed in this Department and keeping in view the changes/advancements in the technology/surgical procedures, it has been decided to revise the period of Special Casual Leave admissible to Central Government Servants for the various Family Welfare Schemes as under:

Purpose	No. of days at present.	Revised Admissibility
<u>Male Government Servants</u>		
(i). Vasectomy	6 Working Days	5 Working Days
(ii). Vasectomy for second time due to failure of the first operation	6 Working Days	5 Working Days.
<u>Female Government Servants</u>		
(i). Puerperal tubectomy/ Non- puerperal Tubectomy (Including laparoscopic method)	14 Days	10 Working Days
(ii). Puerperal tubectomy/ non- puerperal tubectomy for second time.	14 Days	10 Working Days
(iii). Salpingectomy after Medical Termination of Pregnancy (MTP) – Not admissible when, after Salpingectomy operation along with medical termination of pregnancy, facility of maternity leave for six weeks under Rule 43 of CCS (Leave) Rules, 1972 is availed	14 Days	10 Working Days
<u>Post Sterilization Complications</u>		
<u>Non- Hospitalization:</u>		
(a) Post-Vasectomy complications	7 Days	Commutated leave to be granted if necessary as complications requiring hospitalization are of minor nature, which do not call for additional special casual leave.
(b) Post-Tubectomy complications	14 Days	

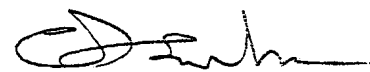
- 9 -

Male Government Servants:		
When wife undergoes puerperal / non-puerperal tubectomy including sterilization performed through laparoscopy for the first time or the second time.	7 Days	3 Working Days

3. There will be no change in the other conditions for grant of Special Casual Leave for the above purposes. The period of Special Casual Leave for the following purposes remain unchanged:

- (a) Post Sterilization Complications : in case of Hospitalization.
- (b) Female Government Servants : when their husbands undergo vasectomy operation.
- (c) Re-canalization Operation.

4. These orders will take effect from the date of their issue.


(C.A. Subramanian)
Director

To,

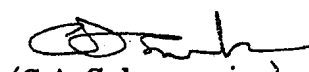
All Ministries and Departments of Government of India (As per standard list)

No. 28016/02/2007-Estt (B)

Dated: 04.01.2007

Copy to:

1. President's Secretariat, Rashtrapati Bhavan, New Delhi
2. Vice-President's Secretariat, New Delhi
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi
4. Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhavan, New Delhi
5. Comptroller and Auditor General, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi
6. Central Vigilance Commission, New Delhi
7. Union Public Service Commission, New Delhi
8. All Subordinate Office, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
9. All Officers and Sections, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, New Delhi.
10. Website Section, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, North Block, New Delhi.
11. Facilitation Centre, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, North Block, New Delhi- 5 spare copies
12. 25 spare copies.


(C.A. Subramanian)
Director

संख्या 28016/02/2007-स्थापना (क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 04 जनवरी, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विभिन्न परिवार कल्याण योजनाओं के लिए दी जाने वाली विशेष आकस्मिक छुट्टी की अवधि में संशोधन।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विभिन्न परिवार कल्याण योजनाओं के लिए अनुज्ञेय विशेष आकस्मिक छुट्टी की मंजूरी के दिवसों की संख्या के संबंध में मौजूदा अनुदेशों की इस विभाग में समीक्षा की गई है और प्रौद्योगिकी/सर्जिकल प्रक्रिया में बदलाव/प्रगति को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न परिवार कल्याण योजनाओं के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञेय आकस्मिक छुट्टी की अवधि को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय किया गया है :-

प्रयोजन	वर्तमान में अनुज्ञेय दिनों की संख्या	संशोधित अनुज्ञेयता
पुरुष सरकारी कर्मचारी		
(i) वैसक्टोमी	06 कार्य दिवस	05 कार्य दिवस
(ii) पहले ऑपरेशन के असफल हो जाने पर दूसरी बार वैसक्टोमी	06 कार्य दिवस	05 कार्य दिवस
महिला सरकारी कर्मचारी		
(i) प्यूरपरल ट्यूबक्टोमी/नॉन प्यूरपरल ट्यूबक्टोमी (लैपरोस्कोपि विधि सहित)	14 दिन	10 कार्य दिवस
(ii) दूसरी बार प्यूरपरल ट्यूबक्टोमी/नॉन प्यूरपरल ट्यूबक्टोमी	14 दिन	10 कार्य दिवस
(iii) मेडीकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एम.टी.पी.) के बाद सेलिंगक्टोमी - अनुज्ञेय नहीं है यदि जब एम.टी.पी. के साथ सेलिंगक्टोमी ऑपरेशन के बाद केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 43 के तहत छह सप्ताह की प्रसूति छुट्टी की सुविधा का उपयोग कर लिया गया है।	14 दिन	10 कार्य दिवस
पोस्ट स्टरीलाइजेशन काम्प्लीकेशन		
नॉन- हॉस्पिटलाइजेशन		
(क) पोस्ट - वैसक्टोमी काम्प्लीकेशन	07 दिन	यदि आवश्यक हो तो परिवर्तित छुट्टी प्रदान की जाए क्योंकि अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ने वाली काम्प्लीकेशन साधारण स्वरूप की होती हैं जिनके लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती।
(ख) पोस्ट - ट्यूबक्टोमी काम्प्लीकेशन	14 दिन	

पुरुष सरकारी कर्मचारी		
पत्नी का पहली बार अथवा दूसरी बार लेपरोस्कोपी के माध्यम से निष्पादित स्टेरीलाइजेशन सहित प्यूरपरल/नॉन-प्यूरपरल ट्यूबक्टोमी करवाने पर ।	07 दिन	03 कार्य दिवस

03. उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान किए जाने के संबंध में अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी की अवधि अपरिवर्तित रहेगी :

- (क) पोस्ट स्टेरीलाइजेशन काम्प्लीकेशनस – अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में
- (ख) महिला सरकारी कर्मचारी – जब उनके पति का वैसक्टोमी ऑपरेशन हो
- (ग) रि-केनलाइजेशन ऑपरेशन

4. ये आदेश, इनके जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

(सी.ए. सुब्रह्मणियन)
निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)

संख्या 28016/02/2007-स्थापना (ख)

दिनांक 04.01.2007

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है :-

1. राष्ट्रपति का सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. उप राष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधान मंत्री का कार्यालय, साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. नियंत्रक तथा महा लेखापरीक्षक, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
6. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
7. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
8. सभी अधीनस्थ कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय।
9. सभी अधिकारी एवं अनुभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय।
10. वेब साइट अनुभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय।
11. सूचना सुविधा केन्द्र, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय।
12. 25 अतिरिक्त प्रतियां।

(सी.ए. सुब्रह्मणियन)
निदेशक